FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

ओमाराम वगैरा बनाम पेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 242 सन् 2019

तारीख़ हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम चारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 7/8/19 को पेश हो।	
07/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अभिभाषक पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो।	
15/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के निकट विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच जो पुरानी मेड	

P.T.O.

Scanned by CamScanner

व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेतों को तोड़कर प्रार्थी के खेत में काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेतों को लेकर तनाजा बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खातेदारी खेतों की पक्की नक्शाबन्दी करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शाबन्दी आवेदन को स्वीकार कर नक्शाबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नक्शाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि स्वयं या अपने अधीनस्थ कानूनगो भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नक्शाबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
(राज पैरोकार)

(हस्ताक्षर)
15.10.2015
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 664 दिनांकः– 15/10/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भोमाराम पुत्र सुरताराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. पेमाराम पुत्र हिमथाराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 242 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 753 / 34 रकबा 30.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
सहायक कलेक्टर बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 665–69 दिनांकः– 15/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री भोमाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री पेमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा / बायतु।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
सहायक कलेक्टर बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:03:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: